

क्र.	योजना का नाम	पत्रता
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	आवेदक की आय 40 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये, आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये, आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। निःशक्तताका प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो। यू0डी0 कार्ड
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	आवेदक की आयु 60 वर्ष या अधिक होना चाहिये, आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
4	बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निशक्तजन को आर्थिक सहायता.	आवेदक की आयु 06 वर्ष से अधिक होना चाहिये, निःशक्तताका प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो। यू0डी0 कार्ड
5	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	हितग्राही दम्पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो हितग्राही दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो। हितग्राही दम्पति की संतान के रूप में केवल पुत्री हो। हितग्राही दम्पति आयकर दाता ना हों। रु 50/- के जुडेशियली स्टाम्प पर शपथ पत्र

6	मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना	कल्याणी मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो। आयकर दाता ना हो। शासकीय कर्मचारी अधिकारी ना हो कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
7	सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता	आवेदक की आयु 06 वर्ष से अधिक होना चाहिये, निःशक्तताका प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
8	सामाजिक सुरक्षा नि पेंशन योजनाशक्त	आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये। निःशक्तताका प्रतिशत 40। या उससे अधिक हो, यू0डी0 कार्ड
9	सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना	आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये, आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। परित्यक्ता का प्रमाण होना चाहिये।
10	मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना	मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो। न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो। अविवाहित हो। आयकर दाता ना हो। शासकीय कर्मचारी अधिकारी ना हो परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।

नोट:- (1) उक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत असवेदको को समग्र आई.डी. आधार कार्ड, दो पासपोर्ट फोटो, मोबाईल नम्बर, बैंक पास बुक ,दिवयांगता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ सलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उक्त योजना अन्तर्गत आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरे हुये सभी वांछित दस्तावेजो सहित आवेदन पत्र सभी झोन कार्यालय एवं लोकसेवा केन्द्र उज्जैन में जमा किये जा सकते हैं आवेदन फार्म सभी झोन कार्यालय में उपलब्ध है।



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>